डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

प्रेषक,

कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

1. मा0 न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री शैलेन्द्र सक्सेना, एम0आई0जी0, ए0–3, सेक्टर–सी, अलीगंज, लखनऊ।
2. मा0 न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री आलोक कुमार सिंह, बी1/289, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उ0 प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, व्यवसायिक शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन।
6. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0 प्र0, 5 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
8. सचिव, डा0 शकुन्तला मिश्रा स्मृति सेवा संस्थान, 17/9 विन्डसर पैलेस, योजना भवन के पीछे, लखनऊ।
9. प्रो0 असीम मुखर्जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज–211 002
10. प्रो0 एन0 के0 तनेजा, पूर्व कुलपति, 606/3, मंगल पाण्डेय नगर, मेरठ– 250 007
11. डॉ0 गनपत सिंह कश्यप, निवासी–टीचर्स कालोनी, धामपुर, बिजनौर।
12. प्रो0 रवि शंकर सिंह, भौतिक विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
13. डॉ0 विनोद कुमार सिंह, आचार्य, अंग्रेजी, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
14. डॉ0 शेफाली यादव, आचार्य, विधि, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

पत्रांकः 510 /फा0सं0–36(सप्तम्)/डा.श.मि.रा.पु.वि./कार्य0परि0/2023–24 दिनाँकः 05.06.2023

विषयः– **डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा0 कार्य परिषद की 43वीं बैठक दिनांकः 29 मई, 2023 का कार्यवृत्त प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उपर्युक्त विषयक डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा0 कार्य परिषद की 43वीं बैठक दिनाँक 29 मई, 2023 के कार्यवृत्त की छायाप्रति प्रेषित किये जाने का निदेश हुआ है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनाँक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः– वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
की मा0 कार्य परिषद की 43वीं बैठक
दिनाँकः 29 मई, 2023 का कार्यवृत्त

समय–	मध्याह्न 12:00 बजे
स्थान–	पंचम तल स्थित सभागार, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की मा0 कार्य परिषद की 43वीं बैठक विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही। बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

बिन्दु सं0	कार्यवाही
1/43	**मा0 कार्य परिषद की 42वीं बैठक के निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः– मा0 कार्य परिषद् की 42वीं बैठक दिनाँक 20 जनवरी, 2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
2/43	**मा0 कार्य परिषद की 42वीं बैठक दिनांक 20 जनवरी, 2023 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।**
	निर्णयः– मा0 कार्य परिषद् की 42वीं बैठक दिनांक 20 जनवरी, 2023 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवलोकित होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त मा0 कार्य परिषद की 41वीं बैठक के बिन्दु संख्या–6/41(1) में सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से सेवाएं लिए जाने हेतु कार्मिकों की संख्या में लिपकीय त्रुटिवश अंकित 200 कार्मिकों के स्थान पर कार्मिकों की संख्या–250 को पढ़े जाने पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई।
3/43	**विश्वविद्यालय में मा0 कार्य परिषद की 39वीं बैठक दिनांक 13.06.2022 में बिन्दु संख्या–24/39(2) लिए गये निर्णय पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के पारित आदेश पर विचार।**
	मा0 कार्य परिषद की 39वीं बैठक दिनांक 13.06.2022 में बिन्दु संख्या–24/39(2) में लिए गये निर्णय के विरूद्ध सम्बन्धित 05 शिक्षकवृन्द द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में पृथक–पृथक 05 वाद दाखिल किया गया, जिस पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त 05 वाद के सापेक्ष समेकित रूप में Writ-A 4293 आफ 2022 दिनांक 08.05.2023 आदेश पारित किया गया, जिसमें अन्तिम प्रस्तर में निम्न आदेश उल्लिखित किया गया है– 83. In view of the above, the writ petitions stand **allowed.** The impugned orders dated 06.07.2022 with respect to all the petitioners challenged in all the writ petitions, forming part of the bunch, are set aside. The respondent University is directed to reinstate the petitioners forthwith. Considering the fact that they have been working for the last 6 to 7 years and the orders of termination have been held to be illegal and arbitrary, they are entitled to all consequential benefits including the back wages from the date of termination of their services. मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश पर अग्रेतर कार्यवाही किए जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय के आदेश को मा0 कार्य परिषद की आहूत बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त Writ-A 4293 आफ 2022 दिनांक 08.05.2023 पारित आदेश के क्रम में विश्वविद्यालय से अनुबन्धित अधिवक्ता से प्राप्त विधिक राय से संज्ञानित हुए। **निर्णयः**–मा0 कार्य परिषद द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा Writ-A 4293 आफ 2022 दिनांक 08.05.2023 पर पारित आदेश एवं विश्वविद्यालय के अनुबन्धित अधिवक्ता द्वारा दिए गए विधिक राय पर सम्यक् विचार –विमर्श करते हुए मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.2023 को पारित निर्णय पर मा0 उच्च न्यायालय के डिविजन बेंच में विशेष अपील करने का निर्देश प्रदान किया गया। मा0 कार्य परिषद के शिक्षक प्रतिनिधि के सदस्य डॉ0 शेफाली यादव एवं डॉ0 वी0 के0 सिंह द्वारा उक्त निर्णय पर अपनी असहमति (Dissent) दर्ज की गई।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो0 राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

4/43	**विश्वविद्यालय में सीधी भर्ती के माध्यम से सृजित शैक्षिक संवर्ग के पदों पर भर्ती हेतु कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 18.04.2022 के अनुरूप दिव्यांगजन के लिए पदों को चिन्हांकित किये जाने पर रोस्टर समिति के कार्यवृत्त पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।**
	(क) **निर्णयः**— मा0 कार्य परिषद को संज्ञानित कराया गया कि विश्वविद्यालय में सीधी भर्ती के माध्यम से सृजित शैक्षिक संवर्ग के पदों पर भर्ती के लिए कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 18.04.2022 के अनुरूप दिव्यांगजन के लिए पदों को चिन्हांकित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर रोस्टर समिति गठित की गई। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ, लखनऊ के वाद संख्या पी.आई.एल. सं0—185 ऑफ 2022 के सम्बन्ध में पारित अन्तरिम आदेश के अनुपालन में दिव्यांगजन के आरक्षण हेतु शैक्षिक संवर्ग के सृजित प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेण्ट प्रोफेसर के पदों का चिन्हांकन किये जाने हेतु उक्त गठित समिति द्वारा दिनांक 21 अप्रैल, 2023 को की गई संस्तुति पर विचार—विमर्श करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया। (ख) **निर्णयः**—मा0 कार्य परिषद को संज्ञानित कराया गया कि विशेष शिक्षा संकाय के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता प्रदान करने वाली नियामक संस्था भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत ज्ञापन में **Mental Retardation** (मानसिक मंदितार्थ) विभाग के स्थान पर **Intellectual Disability** (बौद्धिक अक्षमता) Term (शब्दावली) निर्धारित की गई है। जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित किये गये मानसिक मन्दितार्थ शब्द के स्थान पर बौद्धिक अक्षमता शब्दावली प्रतिस्थापित किये जाने के उपरान्त हिन्दी वर्णमाला के अनुसार आरक्षण रोस्टर में परिवर्तन किया जाना आवश्यक था, जिसे आरक्षण रोस्टर समिति द्वारा दिनांक 21 अप्रैल, 2023 को पुर्ननिर्धारित आरक्षण रोस्टर तैयार करते हुए की गई संस्तुतियों पर मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेण्ट प्रोफेसर के पदों पर आरक्षण रोस्टर निर्धारित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान करते हुए तद्नुसार भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
5/43	**विश्वविद्यालय में अनुबन्धित अधिवक्ता को विश्वविद्यालय आने पर एवं विभिन्न प्रकरण पर विधिक परामर्श दिये जाने हेतु अनुमन्य किये जाने वाले मानदेय का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः—मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के अनुबन्धित अधिवक्ता को विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित किसी प्रकरण पर विधिक परामर्श दिये जाने हेतु उन्हें धनराशि रू0 5500/— (रूपये पाँच हजार पाँच सौ मात्र) अनुमन्य किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में किसी प्रकरण पर उन्हें आमंत्रित किये जाने तथा उनके द्वारा विधिक परामर्श दिये जाने पर धनराशि रू0 5500/— (रूपये पाँच हजार पाँच सौ मात्र) के साथ राज्य सरकार द्वारा प्रचलित यात्रा—भत्ता के सापेक्ष न्यूनतम धनराशि रू 500/— या वास्तविक व्यय अनुमन्य किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
6/43	**विश्वविद्यालय के गैर—शैक्षिक संवर्ग एवं तकनीकी संवर्ग के पदों हेतु प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों के पुनर्विज्ञापन एवं लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः— मा0 कार्य परिषद द्वारा विभिन्न बैठकों में लिए गये निर्णय से संज्ञानित होते हुए "विश्वविद्यालय स्तर पर होने वाले विज्ञापनों के सन्दर्भ में गैर—शैक्षिक संवर्ग एवं तकनीकी संवर्ग के पदों पर भर्ती हेतु प्रकाशित होने वाले विज्ञापन में किसी पद के सापेक्ष 05 से कम आवेदन प्राप्त होने पर उन पदों को पुर्नविज्ञापित किया जायेगा तथा जिन पदों पर 05 या 05 से अधिक परन्तु 10 तक आवेदन होंगे, उन पदों पर लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

7/43	**विश्वविद्यालय से सम्बद्ध टी0 एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ में पी.जी. मेडिकल पाठ्य क्रमों–M.D. In Biochemistry/ Pharmacology/Pathology/Microbiology/Community Medicine हेतु निर्धारित सम्बद्धता शुल्क तथा इण्डोमेण्ट फण्ड शुल्क के पुर्ननिर्धारण/निस्तारण के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विश्वविद्यालय से सम्बद्ध टी0 एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ में पी.जी. मेडिकल पाठ्यक्रमों– M.D. In Biochemistry/ Pharmacology/ Pathology/Microbiology/ Community Medicine हेतु निर्धारित सम्बद्धता शुल्क तथा इण्डोमेण्ट फण्ड शुल्क के पुर्ननिर्धारण/निस्तारण के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में वाद संख्या Writ-C 2803 of 2023, दिनांक 22.05.2023 में पारित आदेश के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
8/43	**विश्वविद्यालय में अनुबन्ध के आधार पर निदेशक, प्लेसमेण्ट की सेवाएं लिए जाने के सम्बन्ध पर विचार।**
	निर्णयः–मा0 कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में अनुबन्ध के आधार पर निदेशक, प्लेसमेण्ट्स पर सेवाएं दे रहे श्री बिराग दीक्षित की पूर्व में की सेवाओं पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय प्रदान किये गये :–

1.	श्री बिराग दीक्षित की अनुबन्ध के आधार पर निदेशक, प्लेसमेण्ट्स की अग्रेत्तर सेवा 01 वर्ष तक विस्तारित कर दिया जाये।
2.	निदेशक, प्लेसमेण्ट्स का मानदेय बढ़ाए जाने हेतु समिति गठित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।
3.	गठित समिति की अनुशंसा को दिनांक 01 जून, 2023 से प्रभावी माना जायेगा।

9/43	**विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत भेषज विज्ञान संस्थान (Institute of Pharmacy) में पाठ्यक्रम संचालन हेतु विभिन्न शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों पर सेवाएं लिए जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श करते हुए विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजानान्तर्गत (Institute of Pharmacy) में बी0फार्मा0 एवं डी0फार्मा0 नवीन पाठ्यक्रम के संचालन एवं विद्यार्थियों के उन्नयन को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय में भेषज विज्ञान संस्थान पाठ्यक्रमों शैक्षिक एवं गैर–शैक्षिक के निम्नलिखित पदों पर मानकानुसार अर्हताओं पर संविदा/अनुबन्ध के आधार पर सेवाएं लिए जाने पर यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया–

शैक्षिक पद			गैर–शैक्षिक पद		
क्र. सं.	पदनाम	मानदेय (प्रतिमाह)	पदनाम	पद की संख्या	मानदेय (प्रतिमाह)
01	डायरेक्टर/प्रोफेसर	रू0 80000/–	लैब असिस्टेण्ट	06	रू0 20000/–
02	एसोसिएट प्रोफेसर	रू0 70000/–	कार्यालय असिस्टेण्ट	01	रू0 20000/–
03	असिस्टेण्ट प्रोफेसर	रू0 57700/–	अनुसेवक	02	रू0 10000/–
04	लेक्चरर	रू0 35000/–			

Subject wise details of the post are as below:

S.No.	Name of the Dept./Subject	Director	Professor	Associate Professor	Assistant Professor	Lecturer
1	Department of Pharmaceutics	1	1	-	1	1
2	Department of Pharmaceutical Chemistry		--	-	1	--
3	Department of Pharmacology		--	1	1	--
4	Department of Pharmacognosy		--	-	1	1
Total			1	1	4	2

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

10/43 **अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में कम्प्यूटर प्रोग्रामर के पद पर 11 माह की अनुबन्ध/संविदा के आधार पर नियुक्ति/चयन के सम्बन्ध में।**

मा0 कार्य परिषद की आहूत बैठक में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में कम्प्यूटर प्रोग्रामर के पद पर 11 माह की अनुबन्ध/संविदा के आधार पर नियुक्ति/चयन के सम्बन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श करते हुए मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में सत्र 2016–17 से स्ववित्त पोषित B.Tech पाठ्यक्रम संचालित है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मकैनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग तथा कम्प्यूटर साइन्स एण्ड इंजीनियरिंग विभाग में पठन–पाठन का कार्य किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त सत्र 2022–23 से संस्थान में M.Tech पाठ्यक्रम का संचालन भी किया जा रहा है। अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी (स्ववित्त पोषित) संस्थान **AICTE** के मानकों के अनुरूप संस्थान स्तर पर में उल्लिखित पद पर 11 माह की संविदा के आधार पर सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से भरे जाने की कार्यवाही करते हुए अनुमोदन प्राप्त किया जाना हैं, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

क.सं0	पदनाम	योग्यता	पद की संख्या	प्रस्तावित मानदेय
01	Computer Programmer	B.E/B.Tech., CSE/IT/MCA with First Division	01	Rs. 45000/-

निर्णयः–मा0 कार्य परिषद द्वारा पूर्व मा0 कार्य परिषद की बैठक में प्रोग्रामर की सेवाएं लिए जाने पर प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी (स्ववित्त पोषित) संस्थान के **प्रस्ताव पर विचार विमर्श अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के उन्नयन, विश्वविद्यालय के प्रशासकीय एवं शैक्षिक कार्यों में तकनीकी सुगमता एवं सरलता के दृष्टिगत प्रस्तावित अर्हताओं के साथ प्रोग्रामर की 03 पद से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर (अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान हेतु–01 पद एवं विश्वविद्यालय के प्रशासिकीय एवं शैक्षिक कार्य हेतु–02 पद) सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से 11 माह की संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु निम्नानुसार अनुमोदन किया गया।**

क.सं0	पदनाम	योग्यता	पद की संख्या	प्रस्तावित मानदेय
01	Computer Programmer	B.E/B.Tech., CSE/IT/MCA with First Division	03	Rs. 45000/-

11/43 **मा0 विद्या परिषद की 28वीं बैठक दिनांक 07 जनवरी, 2023 में लिए गये निर्णयों पर विचार।**

निर्णयः–मा0 विद्या परिषद की सम्पन्न 28वीं बैठक दिनांक 07 जनवरी, 2023 के निर्गत कार्यवृत्त का अवलोकन करते हुए मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

12/43 **विश्वविद्यालय की सम्बद्धता समिति की 29वीं बैठक दिनांकः 19 मई, 2023 में लिए गये निर्णयों पर विचार।**

निर्णयः–विश्वविद्यालय की सम्बद्धता समिति की आहूत 29वीं बैठक दिनांकः 19 मई, 2023 के निर्गत कार्यवृत्त का अवलोकन करते हुए मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

13/43 **विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की 13वीं बैठक दिनांक 06 अप्रैल, 2023 में लिये गये निर्णय पर विचार।**

निर्णयः–विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की 13वीं बैठक दिनांक 06.04.2023 के निर्गत कार्यवृत्त का अवलोकन करते हुए मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

14/43 **विश्वविद्यालय में नियमित प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 11.04.2023 में लिए गये निर्णयों पर विचार।**

निर्णयः–विश्वविद्यालय के नियमित प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 11.04.2023 में लिए गए निर्णय का अवलोकन करते हुए मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

15/43 **विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 29वीं बैठक दिनांक 12 मई, 2023 में लिए गये लिए गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

निर्णयः–विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 29वीं बैठक दिनांक 12 मई, 2023 में लिए गये निर्णय के निर्गत कार्यवृत्त का अवलोकन करते हुए मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

16/43	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।
(1)	**मा उच्च न्यायालय तेलगांना में फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्रा0 लि0 बनाम डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में दायर अर्बिटेशन वाद की प्रभावी पैरवी के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः—विश्वविद्यालय के अनुबन्धित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुदीप सेठ द्वारा मा0 उच्च न्यायालय तेलंगाना में दायर अर्बिटेशन वाद फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्रा0 लि0 बनाम डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में प्रभावी पैरवी करने हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क धनराशि रू0 1,10,000.00 प्रतिदिन एवं श्री सेठ द्वारा उक्त शुल्क को बढाये जाने सम्बन्धी दिये गये प्रत्यावेदन पर मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शुल्क दर पुनरीक्षित करते हुए धनराशि 1,75,000.00 (रू0 एक लाख पच्चहत्तर हजार मात्र) प्रतिदिन वाद की प्रभावी पैरवी किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
16/43 (2)	**विश्वविद्यालय में मा0 कार्य परिषद की 40वीं बैठक दिनांक 19.08.2022 में बिन्दु संख्या—20 /40 लिए गये निर्णय पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के पारित आदेश पर विचार।**
	निर्णयः—मा0 कार्य परिषद द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा Writ-A 7046/2022 दिनांक 24.05.2023 को पारित आदेश पर सम्यक् विचार—विमर्श करते हुए बिन्दु संख्या—3/43 के अनुरूप ही उक्त पारित निर्णय दिनांक 24.05.2023 पर मा0 उच्च न्यायालय के डिविजन बेंच में विशेष अपील करने का निर्देश प्रदान किया गया।
16/43 (3)	**विश्वविद्यालय में 03 अदद बैट्री आपरेटेड व्हीकल्स निष्प्रोज्य घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः—मा0 कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में 03 अदद बैट्री आपरेटेड व्हीकल्स निष्प्रोज्य घोषित कर समस्त बैट्री आपरेटेड व्हीकल्स की नीलामी किए जाने हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
किसी अन्य बिन्दु के अभाव में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।	

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ